मेरा वोट
मेरा भविष्य

बिहार राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो निर्वाचक सूची का

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2015

के अंतर्गत दावा एवं आपत्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त किये जा रहे हैं।

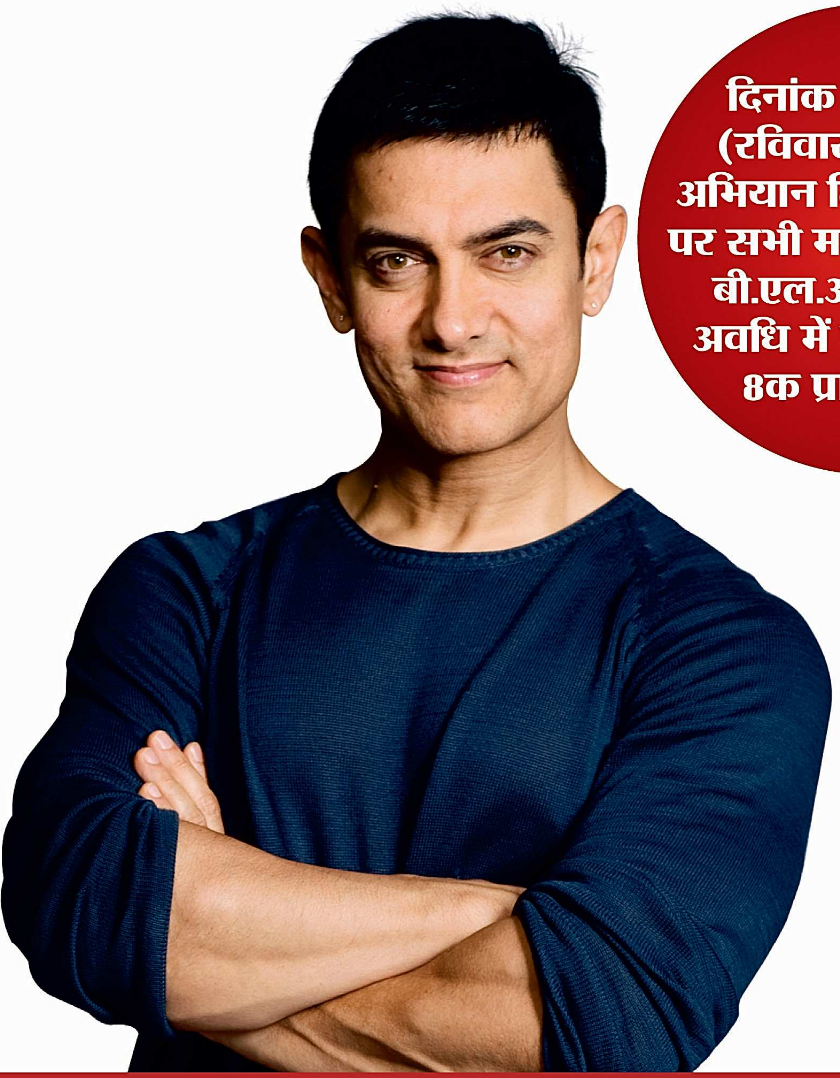

दिनांक 23.11.2014 (रविवार) को विशेष अभियान तिथि के अवसर पर सभी मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ओ. कार्यालय अवधि में प्रपत्र 6, 7, 8, 8क प्राप्त करेंगे।

दावा एवं आपत्ति की अवधि के दौरान निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र-6, अप्रवासी भारतीय के लिए निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र-6क, निर्वाचक सूची से नाम हटाने हेतु प्रपत्र-7, निर्वाचक के नाम एवं अन्य प्रविष्टियों के संशोधन हेतु प्रपत्र-8 तथा एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थानान्तरण हेतु प्रपत्र-8क बी.एल.ओ. को या प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय या समाहरणालय (जिला निर्वाचन कार्यालय) में दिये जा सकते हैं।

संबंधित प्रपत्र को भरते समय अपना मोबाईल नम्बर/ई-मेल आई.डी. अवश्य भरें ।

आवेदन के पूर्व कृपया ध्यान दें

नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 के भाग IV एवं घोषणा को भरना अनिवार्य है। यह ध्यान रहें कि प्रपत्र 6 को भरते समय सभी सूचनाएं सही-सही होनी चाहिए। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

नोट :

निर्वाचक उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची/निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करें, जहां वे साधारणतया निवास करते हैं।	वैसे व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक सूची में पहले से सम्मिलित है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पुनः निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन न करें, क्योंकि ऐसा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की सूची, संबंधित सभी प्रपत्र एवं अन्य विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाईट http://ceobihar.nic.in पर उपलब्ध है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रकाशित
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015